बीआरकेजीबी कर बचत आवधिक जमा योजना, 2006

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1	योजना का नाम	बीआरकेजीबी कर बचत आवधिक जमा योजना, 2006 (BRKGB TAX SAVING TERM DEPOSIT SCHEME, 2006)
2	पात्रता	इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित खाता खोलने हेतु पात्र होंगे– (i) व्यक्ति (एकल अथवा दो व्यवस्क व्यक्तियों के संयुक्त नाम से) अथवा एक वयस्क एवं एक अवयस्क के संयुक्त नाम से जो किसी एक अथवा उत्तरजीवी को देय हो) (ii) हिन्दु अविभाजित परिवार
3	स्कीम कोड	इस योजना के अन्तर्गत निम्न स्कीम कोड के तहत खाते खोले जाएंगे :– TD 131- Tax saving-RIRD TD 132- Tax saving-MIP TD 133- Tax saving-QIP
4	न्यूनतम एवं अधिकतम जमा राशि	न्यूनतम जमा राशि ₹ 100/– अथवा इसके गुणकों में अधिकतम ₹ 1.00 लाख प्रतिवर्ष
5	ब्याज दर	उक्त योजनार्न्तगत जमा राशि पर बैंक में समय–समय पर लागू ब्याज दरों के अनुरूप ब्याज देय होगा। **वरिष्ठ नागरिको** को इस योजनार्न्तगत देय सामान्य दर से **0.50** प्रतिशत अधिक ब्याज दर से ब्याज भुगतान किया जायेगा। **स्टाफ** सदस्यों को सामान्य ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक दर से ब्याज भुगतान किया जावेगा। वरिष्ठ नागरिक स्टाफ सदस्यों को सामान्य ब्याज दर से 1.50 प्रतिशत अधिक दर से ब्याज भुगतान किया जाएगा।
6	ब्याज का भुगतान	इस योजनार्न्तगत देय ब्याज का भुगतान जमाकर्ता द्वारा प्रदत विकल्प के अनुसार मासिक/त्रैमासिक अथवा परिपक्वता पर एक मुश्त किया जा सकेगा।
7	जमा अवधि	जमा राशि जमा तिथि से 5 वर्ष न्यूनतम परन्तु अधिकतम 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकार की जावेगी। 5 वर्ष पूर्व जमा रसीद का परिपक्वता पूर्व भुगतान नही लिया जा सकेगा। **<u>नोट</u>** : जमाकर्ता/संयुक्त जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में उतराधिकारी जमा राशि का परिपक्वता तिथि से पूर्व भुगतान प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार परिपक्वता पूर्ण भुगतान के समय जमा तिथि को लागू ब्याज दर प्रभावी होगी जो उस अवधि हेतु देय है जिस हेतु जमा राशि वास्तविक रुप से जमा रही है।
8	आयकर लाभ	इस योजनार्न्तगत जमा राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(c) के अर्न्तगत ₹ 1.00 लाख की अधिकतम सीमा तक निवेश मानी जावेगी एवं इस पर आयकर की छूट प्राप्त होगी। संयुक्त जमाकर्ता की स्थिति में आयकर छूट प्रथम नाम वाले जमा कर्ता को प्राप्त होगी।
9	स्त्रोत पर कर कटौती	सामान्य आवधिक जमा योजनाओं पर लागू नियमों के अनुसार स्त्रोत पर कर कटौती की जावेगी।
10	नामांकन सुविधा	खाते में नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी।
11	सावधी जमा रसीद जारी करना	जमा राशि हेतु बैंक द्वारा जमाकर्ता को सामान्य सावधी जमा रसीद ही जारी की जावेगी। इस जमा रसीद पर जमाकर्ता के नाम के साथ उसका पूर्ण पता एवं पैन नम्बर आवश्यक रुप से अंकित किये जावेगे।
12	एक शाखा से दूसरी शाखा को जमा राशि का अन्तरण	जमाकर्ता के अनुरोध पर अन्य जमा खातों की तरह ही इस योजनान्तर्गत सावधी जमा खाते भी एक शाखा से दूसरी शाखा को अन्तरित किये जा सकेंगे परन्तु एक बैंक शाखा से अन्य बैंक की शाखा को जमा राशि अन्तरित नही की जा सकेगी।
13	आवधिक जमा रसीद को गिरवी रखना	इस योजनार्न्तगत जारी जमा रसीद किसी भी ऋण की प्रतिभूति स्वरुप गिरवी नही रखी जा सकेगी न ही इसके विरुद्ध ऋण प्रदान किया जावेगा।
14	खोई हुई/नष्ट हुई जमा रसीद के लिए डुप्लीकेट रसीद जारी करना	इस अन्य आवधिक जमाओं के क्रम में लागू नियम व शर्ते इस योजनार्न्तगत जारी जमा रसीदों पर भी लागू होगें।